THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Representations have been received from time to time from the Association of Polyster Staple Fibre Manufacturers requesting for reduction of import duty on paraxylene, PTA, DMT and MEG.

(b) Yes, Sir.

(c) BICP has taken up the study and the time taken for its completion will depend to a large extent on the speed with which the manufacturers respond to the BICP's questionnaire seeking detailed information.

(d) and (e) Import duty on DMT, PTA and MEG was reduced from 150 per cent to 110 per cent in March, 1992. It is not possible to indicate at this stage whether any further change will be made before receipt of the BICP recommendations.

मध्य प्रदेश में मारे गये आयकर छापे

1198. **श्री अजीत जोगी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में मारे गये छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन छापों के दौरान जब्त किये बिना हिसाब के कीमती सामान तथा नकदी का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक निपटाये गये मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या संबंधित व्यक्तियों के मामलों का निपटान करने के बाद उनसे जब्त किया गया कीमती सामान तथा नकदी उन्हें लौटा दी गई है ;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं साथ ही ऐसे सामान का ब्यौरा क्या है जिसे अभी लौटाया जाना है ; और

(छ) देश के अन्य प्रदेशों में मारे गये ऐसे छापों की क्या स्थिति रही?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख)

(लाख रुपयों में)

वित्त वर्ष	तालाशियों की संख्या	अभिगृहीत परिसंपत्तियों का मूल्य	छिपाई गई आय, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(4) के अन्तर्गत घोषित किया गया
1991–92	42	170.17	392.61
1990–91	163	508.14	248.52
1989–90	108	190.43	64.23

(ग) से (च) वर्ष 1989–90 तथा 1990–91 के दौरान ली गई तलाशियों में से क्रमश: 4 एवं 6 मामलों का निपटान किया गया है। 2.88 लाख रु० की नकद धनराशि एवं 39.49 लाख रु० के मूल्य की अन्य मूल्यवान वस्तुयें संबंधित व्यक्तियों को, उनके मामलों के निपटान हो जाने कँ पश्चात् उन्हें वापस दे दी गई हैं। शेष मामलों में कर-निर्धारण अधिकारियों ने आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाहियां तथा कर-निर्धारण संबंधी कार्यवाहियों प्रारम्भ कर दी है। 834.49 लाख रु० के मूल्य की नकदी तथा अन्य मूल्यवान वस्तुयें आयकर विभाग की अभिरक्षा में है।

(छ) इन तलाशियों के दौरान एकत्र की गई सूचना एवं साक्ष्य संबंधित कर-निर्धारण अधिकारियो के पास भेज दिये गये हैं तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत यथा-उपबंधित आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की गई है।

कर-निर्धारण अधिकारियों ने इन तलाशियों के दौरान पाई गई सामग्रियों को मद्देनजर रखते हुये कर-निर्धारण संबंधी कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी हैं।

Income tax and excise duty realised and assistance provided to States

1199. SHRI JAGIR SINGH DARD: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the total amount of income tax and excise duty collected during the year 1990-91 and 1991-92, State-wise; and

(b) what is the percentage of assistance given to each State out of the above said amount?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) The total amount of income tax (without including Corporation Tax) and excise duty collected during the year 1990-91 and 1991-92 are given below:

(Rs. in crores)

	1990-91	1991-92
Income-Tax . .	5371	6739
Excise-Duty . .	24514	28020

The Statewise collection figures for Income tax Excise duty are given in Statement-I and Statement-II respectively. (See below).

(b) The State-wise percentage shares of income tax and Union Excise Duties for the years 1990-91 to 1994-95, on the basis of the recommendations of the NINTH Finance Commission, are given in Statement-III.

Statement I

State and Union Territory-Wise Breakup

(Rupees in crores)

S. No.	States	1990-91 Income tax	1991-92 Income tax
1	2	3	4
			(Provisional)
1	Andhra Pradesh	222·55	265·94
2	Arunachal Pradesh	1·77	0·22
3	Assam	46·77	67·66
4	Bihar	143·00	171·56